न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––01/2026

प्रविष्टि दिनांक––05.01.2026

1. परसराम पुत्र प्रहलाद जाति कुमावत निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. शिवचरण पुत्र केसरलाल जाति कुमावत निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री चेतन स्वामी –प्रार्थी

पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 27/2/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 4538/4 रकबा 0.4173 हैक्टेयर वाके ग्राम कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक राज. में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थीगण व उसके परिवारजन मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 4538/4 कस्बा निवाई की ऑनलाईन तरमीम होने से पहले जारी नक्शा ट्रेस दिनांक 30.11.2021 में सही रूप से हो रखी है एवं उसी के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिसकी पटवारी हल्का कस्बा निवाई पी 35 की नकल क्रमांक 170 पर दिनांक 30.11.2021 पेरवर्ज कर नियमानुसार जारी की गई जो सही थी और उसकी अनुसार प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की तरमीम सही की गई और प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 4538/4 के पूरब दिशा में खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम की गई जो रकबे अनुसार एवं कब्जे अनुसार सही थी तथा उक्त दोनों खसरा नम्बर के दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 4538/3 की तरमीम भी मौके अनुसार एवं पूर्व की शीटो के अनुसार की गई उक्त शीट की दिनांक 18.04.2023 को प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन शीट की नकल निकलवायी गई जिसे भी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.04.2024 को क्रमांक संख्या 11 डालकर प्रमाणित किया गया जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। परन्तु प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 4538/4 की वर्तमान ऑनलाईन शीट में बिना किसी न्यायालय के आदेश के रकबा अनुसार तरमीम घटाकर शीट में प्रार्थीगण का रकबा कम कर दिया गया और तरमीम को घटा दिया गया तथा खसरा नम्बर 4538/1 व खसरा नम्बर 4538/3 की भी तरमीम वर्तमान ऑनलाईन शीट में बिना किसी आदेश के बदल दी गई प्रार्थीगण द्वारा जब दिनांक 02.01.2026 को ऑनलाईन नकल निकलवायी तो प्रार्थीगण की भूमि की रकबे अनुसार तरमीम कर दी गई जो वर्तमान में गलत तरमीम की गई है वो बिना किसी कब्जे व बिना किसी आधार के की गई है जो गलत होने के कारण निरस्त की जाकर पूर्व में जारी नक्शा शीट दिनांक 18.04.2024 व दिनांक 30.11.2021 को जारी नकल नक्शा ट्रेस अनुसार मौके कब्जे अनुसार की जाकर राजस्व शीट को दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है तथा वर्तमान ऑनलाईन शीट में खसरा नम्बर 4583/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम किया जाना एवं खसरा नम्बर 4538/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/3 की तरमीम दुरूस्त किया जाना भी विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वाके ग्राम कस्बा निवाई 4538/4 रकबा 0.4173 है0 भूमि वादी के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण की आराजियात खसरा नम्बर 4538/4 रकबा 0.4173 है0 की ऑनलाईन तरमीम होने से पहले मुताबिक संलग्न नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का द्वारा पी–35 क्रमांक 170 दिनांक 30.11.2011 की फोटो प्रति के अनुसार पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्तर्गत

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251ए उनवानी प्रकरण उनवान हनुमान बनाम बदाम वगै0 रास्ते के संदर्भ में सिवायचक भूमि में से रास्ता दिये जाने के अनुसरण एवं न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में पटवारी हल्का द्वारा नकल जारी की गयी थी। वर्तमान में खसरा नम्बर 4538/4 की पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम वर्तमान ऑनलाईन शीट में की गई है। जो विधिसंगत नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 26.09.2017 को तत्समय पूर्व दिशा में खातेदार/वादीगण की आराजियात खसरा नम्बर 4538/4 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 4538/1 का भाग मुताबिक निर्णय के तत्समय न्यायालय द्वारा नहीं माना गया। क्योंकि वादी द्वारा एवं मुताबिक न्यायालय निर्णय उपखण्ड अधिकारी निवाई निर्णय दिनांक 26.09.2017 की पालना में वादी को पी-35 कमांक 170 दिनांक 30.11.2021 द्वारा पंजीबद्व की जाकर नकल मुताबिक निर्णय की पालना में तत्समय जारी की गयी अतः शुद्दि स्वीकार योग्य है। उक्त उनवानी प्रकरण में वाके ग्राम कस्बा निवाई के खसरा नम्बर 4538/4 रकबा 0.4173 की तरमीम माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई के निर्णय दिनांक 26.09.2017 प्रकरण 220/17 हनुमान बनाम बदाम वगै0 के अनुसरण में राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन शीट में तरमीम तत्समय की गई थी अतः खसरा नम्बर 4538/4 के पूर्व दिशा में 4538/1 की तरमीम अभिव्यक्त की गयी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 4538/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम किया जाना एवं खसरा नम्बर 4538/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/3 वाके ग्राम कस्बा निवाई की तरमीम तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार एवं ख0न0 4538/4 की तरमीम रकबा अनुसार किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा नं. खसरा नम्बर 4538/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम किया जाना एवं खसरा नम्बर 4538/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/3 वाके ग्राम कस्बा निवाई की तरमीम सलंग्न नजरी नक्शा, नकल लटठा शीट अनुसार एवं ख0न0 4538/4 की तरमीम रकबा अनुसार किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर ननन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि ख0न0 4538/1, 4538/3 व खसरा नम्बर 4538/4 रकबा 0.4173 है0 की वर्तमान तरमीम न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश अनुसार दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान् के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के साथ संलग्न पी-35 कमांक 170 दिनांक 30.11.2021 में अंकित तरमीम में भिन्नता है जिसे दुरूस्त करने एवं खसरा नम्बर 4538/4 की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अनुसार करने हेतु पेरोकार सरकार ने दौराने बहस सहमति प्रदान की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्यायहित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित अराजियात वाके ग्राम कस्बा निवाई के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 4583/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/1 की तरमीम एवं खसरा नम्बर 4538/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 4538/3 की तरमीम तथा ख0न0 4538/4 की तरमीम रकबा अनुसार आपकी रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई